मैसर्स गिगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड - सेज़, ऐरोली , नवी मुंबई, के सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की 74 वीं बैठक का कार्यवृत्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ की अध्यक्षता में 29.04.2024 को द्वितीय तल सीप्ज़ सेवा केंद्र, सीप्ज़-सेज़, मुंबई में आयोजित किया गया।

Minutes of **74th Meeting** of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone of **M/s. Gigaplex Estate Private Limited –** SEZ, at Airoli, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on **29.04.2024,** at Second Floor SEEPZ Service Centre, SEEPZ SEZ, Mumbai.

---

1. सेज़ का नाम : मैसर्स गिगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
   Name of the SEZ : M/s. Gigaplex Estate Private Limited.

2. सेक्टर : आईटी/आईटीईएस
   Sector : IT/ITES

3. मीटिंग नंबर : 74 वीं
   Meeting no : 74th

4. दिनांक : 29.04.2024
   Date : 29.04.2024

उपस्थित सदस्य :

क्रमांक Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्री सीपीएस चौहान Shri. C. P. S. Chauhan	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner,	सीप्ज़-सेज़ SEEPZ-SEZ.
2	श्री लीडर पणिक्कर Shri. Leider Panicker	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai.
3	श्री हिमांशु धार पांडे Shri. Himanshu Dhar Pandey	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित Nominee of the Additional DGFT, Mumbai.
4	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उपनिदेशक उद्योग Deputy Director Industries	डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिती Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra.
5	श्रीमती सुनीता जगताप Smt. Sunita Jagtap	सीमा शुल्क अधीक्षक Superintendent of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती Nominee of Commissioner of Customs (General), Air Cargo, Sahar, Mumbai.

विशेष आमंत्रित सदस्य:- **Special Invitee:-**

श्री . आर के जैन : विनिर्दिष्ट अधिकारी, गिगाप्लेक्स-सेज़

श्री मनीष कुमार, एडीसी (न्यू सेज़), श्री हनीश राठी, एडीसी (न्यू सेज़),श्री पलाश शंकर, एडीसी (न्यू सेज़), श्रीमती रेखा नायर, एडीसी (न्यू सेज़) और श्री जी एस भंडारी, सहायक ने बैठक में सहायता और सुचारू संचालन के लिए शामिल हुए।

<u>कार्यसूची मद संख्या 01</u> : दिनांक 20.12.2023 और 17.04.2024 को आयोजित 72 वीं और 73 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

दिनांक 20.12.2023 और 17.04.2024 को आयोजित 72 वीं और 73 वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।

<u>कार्यसूची मद संख्या 02 :</u> मेसर्स वर्ली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के क्षेत्रीय निदेशक से समामेलन /विलय के आदेश के माध्यम से उद्यमी परिवर्तन के लिए स्वीकृति।

यूनिट मेसर्स वर्ली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ट्रांसफरर कंपनी) के क्षेत्रीय निदेशक (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) से वर्ली सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय के आदेश के माध्यम से उद्यमी को बदलने के लिए अनुरोध किया है।

निर्णय :- विचार-विमर्श के बाद , समिति ने एमओसीएंडआई के अनुदेश संख्या 109 के अनुसार क्षेत्रीय निदेशक से समामेलन/विलय के आदेश के आधार पर उद्यमी परिवर्तन के लिए मैसर्स वर्ली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को **मंजूरी** दे दी।

Shri. R.K. Jain : Specified Officer Gigaplex -SEZ

Shri. Manish Kumar, ADC (New SEZ), Shri. Hanish Rathi, ADC (New SEZ), Shri. Palash Shankar, ADC (New SEZ), Smt. Rekha Nair, ADC (New SEZ) and Shri. G.S. Bhandari, Assistant also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

<u>Agenda Item No. 01</u>: Confirmation of Minutes of the 72nd and 73th meetings held on 20.12.2023 and 17.04.2024.

The Minutes of the 72nd and 73th Meetings held on 20.12.2023 and 17.04.2024 were confirmed with consensus.

<u>Agenda Item No. 02</u>: Approval for Change of Entrepreneur by way of Order for Amalgamation/Merger from Regional Director of M/s. Worley India Private Limited.

M/s. Worley India Private Limited had requested for Change of Entrepreneur by way of Order for Amalgamation/Merger from Regional Director (Ministry of Corporate Affairs) of Worley India Private Limited (Transferor Company) with Worley Services India Private Limited as going concern basis.

Decision :- After deliberation, the Committee **approved** the proposal of M/s. Worley India Private Limited for Change of Entrepreneur on the basis of Order for Amalgamation/Merger from Regional Director as per Instruction No.109 of MOC&I.

i. The name of the company to be **read as M/s. Worley Services India Private Limited.**
ii. Detail of Directors of the company is as under:

Sr. No.	Name of Directors (Existing)	Name of Directors (Approved)
1	Mr. Dinesh Pissurlenkar	Mr. Ashish Modani
2	Ms. Raj Ajit Mankar	Ms. Vidya Tukaram Desai
3	Mr. Kamal Gobind Chatlani	Mr. Neelesh Vaman Borkar

iii. Detail of Shareholding pattern of the company is as under:

Pre change in Entrepreneur of the Company				
Sr. No.	**Name of Shareholder**	**Total Number of Shares**	**Total Share Capital held**	**% of share Capital held**
1	Worley Services India Private Limited (WSIPL)	42,10,173	4,21,01,730	100%
2	Nominee Shareholders of WSIPL*			

Post change in Entrepreneur of the Company (GFSIPL)				
Sr. No.	**Name of Shareholder**	**Total Number of Shares**	**Total Share Capital held**	**% of share Capital held**
1	Worley Engineering Pty Ltd	51,651	25,82,550	100%
2	Nominee Shareholder of Worley Engineering Pvt Ltd.*			

इसके अलावा, समिति ने इकाई को निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन करने का भी निर्देश दिया :

1. परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।

2. परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों की पूर्ति।

3. सभी राजस्व/कंपनी मामलों/सेबी आदि की प्रयोज्यता और अनुपालन अधिनियम/नियम जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

4. इक्विटी/विलय, अलग होने, समामेलन या स्वामित्व में हस्तांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।

5. निर्धारण अधिकारी को इक्विटी या विलय डिमर्जर , समामेलन, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लाभ / हानि की कर योग्यता का आकलन करने का अधिकार होगा और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता लागू हो सकती है।

Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguard in terms of Instruction No. 109, dated 18.10.2021:

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.

2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.

3. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.

4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.

5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and

6. आवेदक संगत राज्य सरकार के कानूनों का अनुपालन करेगा, जिनमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।

7. आवेदक सीबीडीटी को इकाई के पैन और क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करेगा।

8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.

6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.

7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.

8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

कार्यसूची मद संख्या 03 : 11 जून 2019 के निर्देश संख्या 95 के अनुसार गिगाप्लेक्स -एसईजेड में स्थित अपनी एसईजेड इकाई के भीतर व्यायामशाला और मनोरंजन कक्ष की स्थापना के लिए मैसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन।

यूनिट मैसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने गिगाप्लेक्स -एसईजेड में स्थित अपनी एसईजेड इकाई के भीतर व्यायामशाला और मनोरंजन कक्ष स्थापित करने का अनुरोध किया है।

क्रमांक	सुविधा	कैफेटेरिया तल	विस्तार	क्षेत्र (वर्ग फीट)
1	बिल्डिंग 06	स्टिल्ट, ग्राउंड फ्लोर	व्यायामशाला	1139
		स्टिल्ट, ग्राउंड फ्लोर	कोई मनोरंजन-क्रिया	520
2	बिल्डिंग 04	04 वां कार्यालय स्तर-इकाई 601	व्यायामशाला	690
		03 वां कार्यालय स्तर-इकाई 501	कोई मनोरंजन-क्रिया	510

इसके अलावा, यूनिट ने यह भी कहा कि एक्सेंचर व्यायामशाला और मनोरंजन क्षेत्र के लिए आवश्यक सामग्री और / या सेवाओं पर किसी भी कर या शुल्क छूट का लाभ नहीं उठाएगा।

बैठक में निर्दिष्ट अधिकारी ने समिति को

Agenda Item No. 03: Application of M/s. Accenture Solutions Private Limited for set-up of Gymnasium and Recreation Room within their SEZ unit located at Gigaplex-SEZ as per Instruction no. 95 dated 11th June 2019.

M/s. Accenture Solutions Private Limited had requested for set-up of Gymnasium and Recreation Room within their SEZ unit located at Gigaplex-SEZ.

Sr. No.	Facility	Cafeteria Floor	Detail	Area (Sq. Ft)
1	Building 06	Stilt, Ground Floor	Gymnasium	1139
		Stilt, Ground Floor	Recreation	520
2	Building 04	04th Office Level-Unit 601	Gymnasium	690
		03rd Office Level-Unit 501	Recreation sss	510

Further, the unit also stated that they will not avail any tax or duty exemptions on material and/or services required for Gymnasium and Recreation Area.

Specified Officer, in the meeting had informed the Committee that the place was

सूचित किया था कि स्थान का निरीक्षण किया गया था और पाया गया था कि मनोरंजन कक्ष और व्यायामशाला के लिए दर्शाया गया क्षेत्र फर्श योजना लेआउट में निर्धारित के रूप में मौजूद है और इसे अलग से सीमांकित किया गया है।

inspected and found that the area shown for recreation room and gymnasium exists as earmarked in the floor plan layout and the same has been demarcated separately.

निर्णय :- विचार-विमर्श के बाद , समिति ने 11 जून 2019 के निर्देश संख्या 95 के अनुसार अपनी एसईजेड इकाई के भीतर व्यायामशाला और मनोरंजन कक्ष की स्थापना के लिए गीगाप्लेक्स -एसईजेड स्थित मेसर्स एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को **मंजूरी** दे दी।

Decision :- After deliberation, the Committee **approved** the proposal of M/s. Accenture Solutions Private Limited located at M/s. Gigaplex-SEZ for set-up of Gymnasium and Recreation Room within their SEZ unit as per Instruction no. 95 dated 11th June 2019.

बैठक सभापीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

Meeting ended with the vote of thanks to the Chair.

(राजेश कुमार मिश्रा , आईआरएस)
अध्यक्ष-सह-
सीप्ज़-

विकास आयुक्त,

सेज़

Digitally Signed by Prasad Varwantkar
Date: 10-05-2024 18:45:34
Reason: Approved